बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

संः– 1257 **पटना, दिनांक**....10.....**फरवरी, 2011**

बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति, बोधगया द्वारा दिनांक 19.02.2011 की बैठक में एकमत से यह निर्णय लिया गया है कि महाबोधि विहार एवं पवित्र बोधिवृक्ष की धार्मिक पवित्रता एवं अक्षुण्णता के दृष्टिकोण से बोधगया स्थित पवित्र बोधिवृक्ष का ''सैपलिंग'' अथवा ''सूखे बीजों'' को बिहार सरकार की पूर्वानुमति/अनुमोदन के बिना देश के अन्दर अथवा विदेश में किसी संगठन को उपहार स्वरुप प्रदान नहीं की जायेगी।

बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति, बोधगया के उक्त निर्णय को बिहार सरकार द्वारा सम्पुष्ट एवं अनुमोदित किया गया है।

2. यह अधिसूचना समिति द्वारा लिए गये निर्णय की तिथि, यथा दिनांक 19.01.2011 से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/2/11

(सुनील कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– सी0/बी0जी0एम0–4902/06....1257.... **पटना, दिनांक** 10.....02.11

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को अधिसूचना की दो हार्ड प्रतियों एवं सी0डी0 सहित बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियाँ, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– सी0/बी0जी0एम0–4902/06....1257.... **पटना, दिनांक** 10.....02.11

प्रतिलिपिः–
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
2. सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, गया–सह– अध्यक्ष, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति, बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/11

सरकार के विशेष सचिव।